दिनांक 13.12.2023 को जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में सायंकाल 4:00 बजे रानीलक्ष्मी वाई सभागार विकास भवन उरई में मा० एन.जी.टी. एवं गौशाला प्रवन्धन सम्बन्धी बैठक का कार्यवृन्त।

दिनांक 13.12.2023 को जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में रानी लक्ष्मीवाई सभागार विकास भवन उरई में शाम 4:00 बजे मा० एन.जी.टी. एवं गौशाला प्रवन्धन सम्बन्धी बैठक की गई जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अधिकारी, जिला पंचयात राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत तथा समस्त उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे एवं बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्न प्रकार दिशा निर्देश दिए गए।

1. गौशालाओं के अभिलेख के सम्बन्ध में– जिलाधिकारी महोदय ने अवगत कराया कि निरीक्षण के समय गौशालाओं में अभिलेख नही मिलते है जिससे सत्यापन नही हो पाता है इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि अभिलेख पूर्ण करके एक प्रति अलमारी में गौशाला के अन्दर सुरक्षित स्थान पर रखे जाये तथा कैशबुक सभी गौ आश्रय स्थलो में एक रूपता में रहनी चाहिए इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समस्त गौ आश्रय स्थलों में कैशबुक तथा रजिस्टर उपलब्ध कराये।
   कार्य०–(समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज्य अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)।
2. मान्नीय एन.जी.टी. के आदेशो का अनुपालन करने के सम्बन्ध में– जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बैठक में मा० एनजीटी के दि० 20.7.2023 के आदेशो का सही रूप में अनुपालन नही किये जाने तथा मा० ओवर साइट कमेटी के जनपद में गौशालाओ का भ्रमण करते समय भ्रामक रिर्पोट देने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की है तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मा० ओवर साइट कमेटी के निरीक्षण में पायी गयी कमियों को 15 दिवस के अदर ठीक करा कर अनुपालन आख्या जिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध करायें।
   कार्य०–(समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त अधिशाषी अधिकारी/समस्त पशु चिकित्साधिकारी)
3. भूसा के सम्बन्ध में– जिलाधिकारी महोदय के द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों एवं अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गेहू के चारा की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। पराली आदि सूखा चारा गोवंशो को भरण पोषण हेतु न दिया जाये।
   कार्य०–(समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त अधिशाषी अधिकारी/समस्त पशु चिकित्साधिकारी)
4. गोवंशो को संरक्षित करने के सम्बन्ध में– जिलाधिकारी महोदय के द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों तथा अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़को एवं खेतो पर विचरण करने वाले गोवंशो को तत्काल गौ आश्रय स्थलो में अभियान चला कर संरक्षित कराया जाए तथा किसी गौशाला से गोवंशो को चरने के लिए नही छोड़ा जाये अगर गोवंश चरने के लिए छोड़े जाते है तो सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को उत्तरदायी माना जायेगा अगर एक भी गोवंश सड़को एवं खेतो पर विचरण करते हुये पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कार्य०–(समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त अधिशाषी अधिकारी/समस्त पशु चिकित्साधिकारी)

5. मॉडल गौशाला के सम्बन्ध में– जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माडल गौशाला के रूप में चिन्नहित सभी गौशालाओं में सी०सी०टी०वी० कैमरे, गोबर गैस सयंत्र तथा सोलर लाईट एक सप्ताह के अंदर लगवायी जाये।

कार्य०–(खण्ड विकास अधिकारी)

6. कान्हा गौशालाओ के सम्बन्ध में– जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त अधिशाषी अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका जालौन की कान्हा गौशाला के अनुसार सभी कान्हा गौशालाओ एवं 150 से अधिक के गोवंशो की क्षमता वाली समस्त गौशालाओं को माडल गौशाला बनाया जाये।

कार्य०–(समस्त अधिशाषी अधिकारी)

7. आस्थाई कान्हा गौशाला माधौगढ़ के सम्बन्ध में– जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद माधौगढ़ को निर्देशित किया गया कि स्थाई कान्हा गौशाला माधौगढ़ का 1 माह के अंदर निमार्ण कराया जाये।

कार्य०–(अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत माधौगढ़)

8. कान्हा गौशाला ऊमरी व रामपुरा के निरीक्षण के सम्बन्ध में– खण्ड विकास अधिकारी रामपुरा को निर्देशित किया गया कि वह कान्हा गौशाला ऊमरी व रामपुरा का तत्काल निरीक्षण करके निरीक्षण आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

कार्य०–(खण्ड विकास अधिकारी रामपुरा)

9. केयर टेकर के सम्बन्ध में– आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में समस्त खण्ड विकास अधिकारियो तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समस्त गौशालाओ में रात्रि कालीन ड्यूटी के लिए 10000.00 (दस हजार रूपये) मात्र के मान्यदेय पर एक केयर टेक़र रखा जाये।

कार्य०–(समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी)

10. टैगिंग एवं गोवंशो के चिकित्सा उपचार के सम्बन्ध में– जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपने अपने क्षेत्र की समस्त गौशालाओ में शत–प्रतिशत टैगिंग करते हुए बीमार एवं घायल गोवंशो का उपचार करना सुनिश्चित करें लापरवाही करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

कार्य०(समस्त पशु चिकित्साधिकारी)

11. गौशालाओ के निरीक्षण के सम्बन्ध में–समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं समस्त पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्र की समस्त गौशालाओ का 15–15 दिन के अंतराल पर निरीक्षण कर के सयुक्त निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध करायें तथा गौशालाओं में पायी गयी कमियो को तत्काल ठीक करायेगे।

कार्य०(समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी)

12. गौशालाओ में सर्दी के वचाव के सम्बन्ध में– जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गौशालाओ से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि सर्दी के वचाव हेतु गौशालाओ में टीन शैड, त्रिपाल तथा अलाब की व्यवस्था कर ली जाये अगर किसी गोवंश की सर्दी के कारण मृत्यु होती है तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कार्य०–(समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त अधिशाषी अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/समस्त पशु चिकित्साधिकारी)

13. **मा० एन०जी०टी० के आदेशो के अनुपालन के सम्बन्ध में–** मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, द्वारा प्रतिदिन तथा मुख्य विकास अधिकारी, द्वारा साप्ताहिक रूप से बैठक कर मा० एन०जी०टी० द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुपालन में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें।

कार्य०–(मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/जिला विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी)

अंत में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियो को धन्यवाद दिया गया।

18/12/2023

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद जालौन।

कार्यालय–मुख्य विकास अधिकारी जनपद–जालौन।

पत्रांक 1972/गौ०अ०स्थ०/कार्यवृत्त/मु0प0चि0अधि0/2023–24 दिनांक– 18.12.23

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद जालौन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उप्र लखनऊ।
3. अपर निदेशक ग्रेड–2 पशुपालन विभाग झांसी मण्डल झांसी।
4. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) जनपद जालौन।
5. जिला विकास अधिकारी जनपद जालौन।
6. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद जालौन।
7. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत जनपद जालौन।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद जालौन।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद जालौन।
10. समस्त अधिशाषी अधि० नगर पा०/नगर पं० जनपद जालौन।
11. समस्त उप मुख्य प०चि०अ०/पशु चि० अ० जनपद जालौन।

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद जालौन।